न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : 22 / 2019

–: वादीगण :–

1. पार्वती पत्नी पांचाराम
2. श्रवण पुत्र पांचाराम
3. पदमा पुत्री पांचाराम

जातियान जाट निवासी गारासनी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामाराम पुत्र केसाराम
2. मांगीलाल पुत्र तिलाराम
3. तिजी पत्नी तिलाराम
4. कमा पुत्री केसाराम
5. चुका पुत्री केसाराम
6. मोहनी पुत्री केसाराम
7. कोटी पत्नी शिवनारायण
8. परमा पुत्री शिवनारायण
9. शांति पुत्री शिवनारायण
10. भंवरी पुत्री शिवनारायण
11. श्यामा पुत्री शिवनारायण
12. सुशीला पुत्री शिवनारायण
13. रामनिवास पुत्र शिवनारायण
14. किसनाराम पुत्र शिम्भुराम फौत के कायम मुकाम

    14 / 1. हड़मानराम पुत्र किसनाराम
15. निशा गोद पुत्री कबुराम नाबालिग की वली माता सरला देवी पत्नी श्रवणराम
16. बीजाराम पुत्र अमराराम
17. हड़मानराम पुत्र अमराराम
18. सुगनादेवी पत्नी अमराराम

    जातियान जाट निवासी गारासनी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर
19. शाखा प्रबंधक युको बैंक आसोप
20. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री गुमानराम चौधरी, रामदयाल चौधरी, रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता, वादीगण।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13, 15 से 19 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. श्री परसराम चौधरी, मनोज कुमार जाखड़ ... प्रतिवादी संख्या 14 / 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

-:: निर्णय ::-

दिनाँक:-28/01/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम गारासनी के खसरा नं. 51 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 648/1 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 18 तक के संयुक्त खातेदारी की कब्जासुद भूमि है। उक्त भूमि का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ नही है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अविभाजित आराजी को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की नीयत से दिखाने लगे, इस पर वादीगण ने मना किया कि वादग्रस्त आराजी अभी तक अविभाजित है, इसलिए पहले वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा करा लो, उसके बाद अपनी हक हिस्से की बंट आई जमीन बेचना। इस पर प्रतिवादी नाराज हो गए तथा बेचान करने की धमकी दी तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए वादीगण को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने का पूर्ण अधिकार है। अतः ग्राम गारासनी के खसरा नं. 51 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 648/1 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 18 के मध्य माफिक हिस्सा अनुसार माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा की डिक्री किये जाने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 14/1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 01 से 13, 16 से 19 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 14/1 व 15 को जवाबदावा पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये गये। वकील प्रतिवादी सख्या 14/1 जवाबदावा पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 14/1 व 15 का जवाब दावा बंद किया जाता है। वादी की तरफ से साक्ष्य शपथपत्र श्रवण पुत्र पांचाराम जाति जाट निवासी गारासनी, पदमा पुत्री पांचाराम जाति जाट निवासी गारासनी, पार्वती पत्नी पांचाराम जाति जाट निवासी गारासनी, रामनिवास पुत्र शिवनारायण जाति जाट निवासी गारासनी के पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

वकुलाय ने अपनी-अपनी सहमति जाहिर कर उक्त वाद को राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार माफिक राजस्व रेकर्ड पक्षकारान में बाई मिण्अस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी करने की इस्तदुआ की है। अपनी-अपनी सहमति के वकुलाय ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संख्या 2061-64 का अवलोकन किया गया जिसमेंराजस्व ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ के खसरा नं. 51 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 648/1 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 18 तक के संयुक्त खातेदारी की कब्जासुद भूमि है क्रा गहनता से अवलोकन किया गया। जिसका माफिक राजस्व रेकर्ड वादी एवं प्रतिवदीगण का वाद बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिकी की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुएमाफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनाँक 18.03.2020 को इस आशय की सादिर की गई थी कि राजस्व ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ के खसरा नं. 51 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 648/1 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 18 तक के संयुक्त खातेदारी की कब्जासुद भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, भोपालगढ़ को आदेशित किया गया। तहसीलदार, भोपालगढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः- राजस्व/प्राथ.डिक्री/2020/1080 दिनांक 27.11.2020द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी [illegible] वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया [illegible] किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं [illegible] की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव [illegible] नक्शा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर बं[illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

—:: आदेश ::—

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ के खसरा नं. 51 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 648/1 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 18 तक के संयुक्त खातेदारी की कब्जासुद भूमि हैका बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :—

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1	श्रवण पि. पांचाराम, पदमा पुत्री पांचाराम, पार्वती पत्नी पांचाराम जाति जाट निवासी गारासनी (वादीगण)	51 648/1	02—19 बीघा 03—10 बीघा	सेवज दोयम बारानी द्वितीय	2.77 1.65	दक्षिण की तरफ
	योग	02	06—09 बीघा		4.42	
2	रामाराम पि. केसाराम, कमा चुका मोहनी पुत्रियां केसाराम, मांगीलाल पि. तिलाराम, तिजी पत्नी तिलाराम, कोटी पत्नी शिवनारायण, परमा शांति भंवरी श्यामा सुशीला पुत्रियां शिवनारायण, रामनिवास पुत्र शिवनारायण, हडमानराम पुत्र किसनाराम, निशा गोद पुत्री कबूराम, बींजाराम हडमानराम पि. अमराराम, सुगनादेवी पत्नी अमराराम जातियान जाट निवासी गारासनी (प्रतिवादीगण)	51 648/1	17—13 बीघा 21—03 बीघा	सेवज दोयम बारानी द्वितीय	16.59 9.94	उतर की तरफ
	योग	02	38—16 बीघा		26.53	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला—जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/01/2021 को सरे ईजलास सु[illegible]

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला—जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

बईजलास :–श्री जवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. पार्वती पत्नी पांचाराम 2. श्रवण पुत्र पांचाराम 3. पदमा पुत्री पांचाराम जातियान जाट निवासी गारासनी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. रामाराम पुत्र केसाराम 2. मांगीलाल पुत्र तिलाराम 3. तिजी पत्नी तिलाराम 4. कमा पुत्री केसाराम 5. चुका पुत्री केसाराम 6. मोहनी पुत्री केसाराम 7. कोटी पत्नी शिवनारायण 8. परमा पुत्री शिवनारायण 9. शांति पुत्री शिवनारायण 10. भंवरी पुत्री शिवनारायण 11. श्यामा पुत्री शिवनारायण 12. सुशीला पुत्री शिवनारायण 13. रामनिवास पुत्र शिवनारायण 14. किसनाराम पुत्र शिम्भुराम फौत के कायम मुकाम 14/1. हडमानराम पुत्र किसनाराम 15. निशा गोद पुत्री कबुराम नाबालिग की वली माता सरला देवी पत्नी श्रवणराम 16. बीजाराम पुत्र अमराराम 17. हडमानराम पुत्र अमराराम 18. सुगनादेवी पत्नी अमराराम जातियान जाट निवासी गारासनी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 19. शाखा प्रबंधक युको बैंक आसोप 20. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 22/2019

यह मुकदमा आज [illegible] इनफिसाल [illegible] ....–........ व हाजरी श्री गुमानराम चौधरी, रामदयाल चौधरी, रामकिशोर चौधरी, अधिवक्ता [illegible] वादी [illegible] मनिब मुद्दई व श्री परसराम चौधरी, मनोज कुमार जाखड अधिवक्ता, प्रतिवादी [illegible] मिनजानिब [illegible] वलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्वग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 51 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 648/1 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा [illegible] बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 18 तक के संयुक्त खातेदारी की कब्जासुद भूमिका बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1	श्रवण पि. पांचाराम, पदमा पुत्री पांचाराम, पार्वती पत्नी पांचाराम जाति जाट निवासी गारासनी (वादीगण)	51 648/1	02–19 बीघा 03–10 बीघा	सेवज दोयम बारानी द्वितीय	2.77 1.65	दक्षिण की तरफ
	योग	02	06–09 बीघा		4.42	
2	रामाराम पि. केसाराम, कमा चुका मोहनी पुत्रियां केसाराम, मांगीलाल पि. तिलाराम, तिजी पत्नी तिलाराम, कोटी पत्नी शिवनारायण, परमा शांति भंवरी श्यामा सुशीला पुत्रियां शिवनारायण, रामनिवास पुत्र शिवनारायण, हडमानराम पुत्र किसनाराम, निशा गोद पुत्री कबूराम, बींजाराम हडमानराम पि. अमराराम, सुगनादेवी पत्नी अमराराम जातियान जाट निवासी गारासनी (प्रतिवादीगण)	51 648/1	17–13 बीघा 21–03 बीघा	सेवज दोयम बारानी द्वितीय	16.59 9.94	उतर की तरफ
	योग	02	38–16 बीघा		26.53	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/01/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः—			मिजानः—		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner